अति–आवश्यक

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./विधि/FSSA Licence/2016/15230 दिनांक : 17-12-20

समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/
भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रभारी,
राज्य भण्डारगृह।

विषय : फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट,2006 एवं फूड एण्ड स्टेण्डर्ड (लाइसेन्स एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनस) रेगूलेशन, 2011 के अन्तर्गत लाइसेन्स रिन्यू करवाने बाबत।

सन्दर्भः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1480 दिनांक 31.01.2014, 14792 दिनांक 13.12.2017, 18147 दिनांक 21.12.2018 एवं 16904 दिनांक 18.12.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा आपको निर्देश दिये गये थे कि फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट, 2006 एवं फूड एण्ड स्टेण्डर्ड (लाइसेन्स एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनस) रेगूलेशन, 2011 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करें/रिन्यू करावें। अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्व की भाँति प्रकिया के अनुसार अपने भण्डारगृह का लाइसेन्स समाप्त होने से पूर्व ही एक वर्ष के लिए लाइसेन्स रिन्यू करवाने की कार्यवाही एक माह पूर्व ही सुनिश्चित करते हुए आगामी वर्षों के लिए लाइसेन्स के रिन्यू की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक की जावे। साथ ही की गई कार्यवाही से प्रधान कार्यालय को अवगत करवाते हुए लाईसेंस की छायाप्रति भी भिजवायें। इस सम्बन्ध में वांछित फीस का भुगतान केन्द्र की इम्प्रेस्ट राशि में से किया जावे एवं वाउचर पुर्नभरण हेतु लेखा शाखा को भिजवायें।

इस सम्बन्ध में किसी भी कोताही के लिये सम्बन्धित भण्डार प्रबन्धक जिम्मेदार होगा एवं विलम्ब शुल्क आदि की जिम्मेदारी भी सम्बन्धित भण्डार प्रबन्धक की होगी। **साथ ही आपको यह भी निर्देश दिये जाते है कि आपके भण्डार गृह के अधीन किराये पर लिये गये गोदामों की भण्डारण क्षमता को भी आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन में शामिल करें और उसके परिसर आदि की सूचना आदि का पूर्ण विवरण भी प्रार्थना पत्र में अंकित करे। ताकि किसी प्रकार की भ्रांति न रह पाये।**

(राज वर्धन)
कार्यकारी निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, प्रधान कार्यालय, जयपुर–निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक